17-12-2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। तहसीलदार खण्डेला का जवाब कई पेशियों से लम्बित है और तामिल भी सम्यक रूप से हो चुका है। अतः तहसीलदार खण्डेला का जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गयी। दरम्यान बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी के समस्त दस्तावेजों में यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. आदि

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

हुक्म या कार्यवाही मय कुनिन्दा व दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए

में वादी का सही नाम ओरूराम पुत्र मंगूराम ही दर्ज है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में वाद, वादी स्वीकार किया जाकर फैसला किया जाता है कि :-

आदेश

अतः ग्राम [illegible] का पटवार हल्का [illegible] तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) स्थित कृषि भूमि ख.नं. 592, 594, 599, 601 के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत दर्ज नाम "ओरूराम पुत्र मंगू हिस्सा 1/6" के स्थान पर वादी का सही नाम "ओरूराम पुत्र मंगूराम हिस्सा 1/6" दुरुस्त किया जाता है एवं ख.नं. 604 के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत दर्ज नाम "औरू पुत्र मंगू हिस्सा 1/9" के स्थान पर वादी का सही नाम "ओरूराम पुत्र मंगूराम हिस्सा 1/9" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 17-12-2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालय मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/12/20

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर)
सत्यमेव जयते